Court Case No - 413/23.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फाइल. सं.NCST/DEV-74/JH/6/2021-RO-RNC (ESDW)

सेवा में,

सुश्री माधवी मिश्रा,
उपायुक्त,
जिला रामगढ़,
डीसी ऑफिस , छत्तामांडु,
रामगढ़ – 525101 झारखण्ड
ई मेल: dc-ramgarh@gov.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें काअन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष **दिनांक 13.04.2023 को 12:00 बजे,**आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. मौजा बोंगावार, थाना-माण्डू, जिला रामगढ स्थित अनुसूचित जनजाति की जमीन के थाना न०- 153, खाता न० 192, प्लॉट न० 1560 के रकवा- 57 डी० एवं प्लॉट न० 1563 के रकवा- 58 डी० को मिलाकर कुल रकवा 1.15 एकड़ भूमि को वन प्रमण्डल, राँची रोड, मरार, रामगढ़ द्वारा बाजबरन अधिग्रहण किये जाने और उक्त भूमि को वापस दिलाने के सम्बन्ध में श्री अरुण मुण्डा, मौजा बोंगावार, पोस्ट- भरेचनगर (सांडी), जिला-रामगढ, झारखण्ड से प्राप्त अभ्यावेदन के सन्दर्भ में।

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 04.01.2022.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 28, मार्च, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

मोहर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003